1850
5/7/11

No. I.12013/3/2010-Org. 585
Directorate General, ITBP
(Ministry of Home Affairs)
Government of India,

Block No.2, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 1-6, 2011

Memorandum

Subject: Notification to Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial and Combatant Stenographer Cadre, Group 'B' & 'C' posts Recruitment(Amendment) Rules, 2011

A copy of notification to Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial and Combatant Stenographer Cadre, Group 'B' & 'C' posts Recruitment(Amendment) Rules, 2011 after having been published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 392 (E) dated 20th May, 2011 is sent herewith for information and necessary action at your end please.

2. All IsG (Frontier HQ) are requested to kindly circulate a copy of above notification to all Units, Sector HQs and Training Centres under their ops/administrative control.

Encl: As above.

31/5/11
(R. K. Sah)
Dy Inspector General (Org)

To
1. All Inspectors General (Frontier HQ)/ IG (Training), ITB Police.
2. Director, ITBP Academy, Mussoorie.
3. DIG, CIJW/NITSRDR/NTCD & A, ITB Police.
4. Commandants Base Hospital Delhi/ Composite Hospital Chandigarh and Itanagar.
5. Sh. Jagmal Singh, Supdt. (Leg-I), OL Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Govt. of India, 7th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi with a copy of above notification for favour of information please.

Internal:
1. Dy. Inspector General (Training), Dte Genl, ITB Police.
2. Senior Administrative Officer (~~Res~~ Estt), Dte Genl, ITBP.
3. Second-in-Command, Rectt. Cell, Dte. Gen., ITBP.
4. Dy. Commandant(IT), Dte Genl. with the request to upload above notification in MHA/ITBP website.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2011/वैशाख 30, 1933
No. 259] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2011/VAISAKHA 30, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2011

सा.का.नि. 392(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक अनुसचिवीय काडर और योधक आशुलिपिक काडर समूह 'ख' पद और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल योधक अनुसचिवीय काडर और योधक आशुलिपिक काडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक अनुसचिवीय काडर और योधक आशुलिपिक काडर समूह 'ख' पद और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में :—

(क) निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तम्भ (12) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति द्वारा :

ऐसे उप-निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) में से जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हित हों ।

टिप्पण 1 :—उप-निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) की बाबत पात्रता शर्त वह होगी जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, तीन वर्ष बने रहेंगे ।

टिप्पण 2 :—किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

टिप्पण 3:– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।";

(ख) उप–निरीक्षक(योधक अनुसचिवीय) के पद से संबंधित कम संख्यॉक 2 के सामने, स्तंभ (12) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:–

" **प्रोन्नति द्वारा:**

ऐसे सहायक उप–निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) में से जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या सहायक उप–निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) और हैड कांस्टेबल (योधक अनुसचिवीय) की श्रेणी में दस वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है और जिन्होंने सहायक उप–निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) की श्रेणी में न्यूनतम एक वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हित हों।

टिप्पण 1:– सहायक उप–निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) और हैड कांस्टेबल (योधक अनुसचिवीय) की बाबत उप–निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) की रैंक पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा वह होगी जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को, नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, कमशः 5 वर्ष/10 वर्ष बनें रहेंगे।

टिप्पण 2:– किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 3:– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।";

(ग) निरीक्षक(आशुलिपिक) के पद से संबंधित कम संख्यॉक 4 के सामने, स्तंभ (12) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:–

" **प्रोन्नति द्वारा:**

ऐसे उप–निरीक्षक (आशुलिपिक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हित हों।

टिप्पण 1:– उप–निरीक्षक (आशुलिपिक) की बाबत् प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा वह होगी जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को, नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, तीन वर्ष बनें रहेंगे।

टिप्पण 2:– किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 3:– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति द्वारा

केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभाग के ऐसे अधिकारी जो उस श्रेणी में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

टिप्पण 1:– (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण 2:–(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

टिप्पण 3:– किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

पुनर्नियोजन द्वारा:

ऐसे पदधारी जो सशस्त्र बलों अर्थात् सेना/नौसेना/वायुसेना में सदृश पदधारण किए हुए हैं, और जिनके पास उस पंक्ति में न्यूनतम पॉच वर्ष का अनुभव है और दो वर्ष से अनधिक अवधि की सेवा भंग न हो।

टिप्पण:– सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। पुनर्नियोजन की प्रात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।";

(घ) उप–निरीक्षक(आशुलिपिक) के पद से संबंधित कम संख्यॉक 5 के सामने, स्तंभ (12) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:–

" **प्रोन्नति द्वारा:**

ऐसे सहायक उप–निरीक्षक (आशुलिपिक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हित हों।

टिप्पण 1:– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2:– किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।";

(ड.) हैड कांस्टेबल(योधक अनुसचिवीय) के पद से संबंधित कम संख्यॉक 6 के सामने,

(i) स्तंभ (8) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या समतुल्य।

2. कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रतिमिनट की दर पर; या कंप्यूटर पर हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रतिमिनट की दर पर (अनुज्ञात समय 10 मिनट)

(प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रतिघंटा (के0डी0पी0एच0)/ 9000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रतिमिनट)

[फा. सं. I-12013/3/2010-संग.]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 287(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2011

G.S.R. 392(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial and Combatant Stenographer Cadre Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2010 namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial and Combatant Stenographer Cadre Group-'B' and Group-'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial and Combatant Stenographer Cadre Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2010,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Inspector (Combatant Ministerial), in column 12, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

" **By promotion :**

From amongst Sub-Inspectors (Combatant Ministerial) having five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and have qualified pre promotion Course/Courses prescribed by the department.

Note 1.— The eligibility condition for promotion in respect of Sub-Inspector (Combatant Ministerial), who are holding the post on regular basis, on the date of the notification of these Rules shall continue to be 3 years.

Note 2.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/ the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note 3.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service." ;

(b) against serial number 2, relating to the post of Sub-Inspector (Combatant Ministerial), in column 12, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion:

From amongst Assistant Sub-Inspector (Combatant Ministerial) having six years regular service in the grade or ten years combined regular service in the grade of Assistant Sub-Inspector (Combatant Ministerial) and Head Constable (Combatant Ministerial) with minimum one year regular service in the grade of Assistant Sub-Inspector (Combatant Ministerial) and have qualified pre promotion Course/Courses prescribed by the department.

Note 1.— The eligibility service for promotion to the rank of Sub-Inspector (Combatant Ministerial) in respect of Assistant Sub-Inspector (Combatant Ministerial) and Head Constable (Combatant Ministerial), who are holding the post on regular basis, on the date of the notification of these Rules shall continue to be 5 years/10 years respectively.

Note 2.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note 3.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service." ;

(c) against serial number 4, relating to the post of Inspector (Stenographer), in column 12, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion:

From amongst Sub-Inspector (Stenographer) who have rendered five years regular service in the grade and have

qualified pre promotion Course or Courses prescribed by the department.

Note 1.— The eligibility condition for promotion in respect of Sub-Inspector (Stenographer), who are holding the post on regular basis, on the date of the notification of these Rules shall continue to be three years.

Note 2.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/ the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note 3.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officials of the Central or State Government Department holding analogous post on regular basis in the grade.

Note. 1— (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application).

Note. 2— (The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.)

Note 3.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/ the date from which the

revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

By re-employment:

Officials holding analogous post in the Armed Forces viz. Army/Navy/Air Force having minimum five years experience in the line, having break in service not more than two years.

Note.— The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve with in a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed if any, shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty two years on the date of receipt of application." ;

(d) against serial number 5, relating to the post of Sub-Inspector (Stenographer), in column 12, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion:

From amongst the Assistant Sub-Inspector (Stenographer) who have rendered six years regular service in the grade and have qualified pre promotion Course or Courses prescribed by the department.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— The service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/ the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission." ;

(e) against serial number 6, relating to the post of Head Constable (Combatant Ministerial),—

(i) for existing entries in column 8, the following shall be substituted, namely:-

"1. Senior Secondary Certificate from a recognized Board or equivalent.

2. English Typing @ 35 w.p.m. on computer; or Hindi Typing @ 30 w.p.m. on computer.
(Time allowed- 10 min.)
(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depressions Per Hour (KDPH)/9000 Key Depressions Per Hour (KDPH) on an average of 5 key depressions for each word)".

[F. No. I - 12013/3/2010-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 287 (E), dated the 6th April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.